भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 364
दिनांक 30 नवंबर, 2021

तेलंगाना में कृषि विज्ञान केंद्र

364. श्री दयाकर पसुनूरी:
डॉ. वेंकटेश नेता बोरलाकुंता:
श्रीमती कविता मलोथू:
डॉ. जी. रणजीत रेड्डी:

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि तेलंगाना में केवल 16 कृषि विज्ञान केंद्र हैं जबकि राज्य में 31 जिले हैं;
(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय उन जिलों में अधिक केवीकेएस खोलने पर विचार करेगा जहां तेलंगाना में केवीकेएस नहीं है;
(ग) क्या केवीकेएस का कोई प्रभाव मूल्यांकन किया गया है और यदि हां, तो ऐसे मूल्यांकन के निष्कर्ष क्या रहे;
(घ) क्या प्रत्येक केवीके को 90-100 गांवों की जरूरतें पूरी करनी हैं, जिन्हें पूरा करने में केवीके को मुश्किल हो रही है;
(ड.) यदि हां, तो क्या मंत्रालय देश में अतिरिक्त केवीके स्थापित करने पर विचार करेगा; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
कृषि और किसान कल्याण मंत्री
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) एवं (ख): तेलंगाना राज्य में 31 जिलों में से 16 जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किए गए हैं तथा वर्तमान में तेलंगाना राज्य में और अधिक कृषि विज्ञान केंद्र खोलने का कोई प्रावधान नहीं है।

(ग) नीति आयोग के अधीन एक स्वायत्त संस्थान, राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान और विकास संस्थान (एनआईएलईआरडी) द्वारा 2015 में कृषि विज्ञान केन्द्रों का तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन किया गया है। इस मूल्यांकन की प्रमुख टिप्पणियाँ और निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:-

i. यह पाया गया था कि कृषि विज्ञान केंद्र लाभप्रद प्रभावों के साथ फील्ड स्तर पर नई प्रौद्योगिकी को अंतरित करने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
ii. बेहतर तकनीकी विशेषज्ञता तथा प्रदर्शन की योग्यताओं के कारण कृषि विज्ञान केंद्र अन्य सेवा प्रदाताओं की तुलना में प्रौद्योगिकी अंतरण में बेहतर हैं।
iii. लगभग 40 प्रतिशत किसानों ने सूचित किया कि उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा प्रसार करने के तत्काल बाद प्रौद्योगिकी का कार्यान्वयन कर दिया था और 25% ने अगले कृषि मौसम से ऐसा किया था।
iv. औसतन एक कृषि विज्ञान केंद्र प्रति वर्ष 43 गाँवों और 4300 किसानों को अपनी सेवाएँ प्रदान करता है। शामिल किए गए गाँवों में से 80% गाँव कृषि विज्ञान केन्द्रों से 10 किलोमीटर दूर हैं।
v. किसानों के 96% अनुरोधों को कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा पूरा किया गया।
vi. किसानों द्वारा अपनाई गई 42% प्रौद्योगिकियों के परिणामस्वरूप उच्चतर उत्पादकता प्राप्त हुई, 33% के परिणामस्वरूप पैदावार से उच्चतर आय प्राप्त हुई थी तथा 20% के परिणामस्वरूप कठोर श्रम में कमी हुई थी।
vii. प्रशिक्षित व्यक्तियों में से लगभग 25% ने स्व-रोजगार के उद्यम शुरू किए।
viii. कृषि विज्ञान केन्द्रों के सहयोग के साथ, लगभग 80% किसानों ने अपनी कृषि पद्यतियों में संशोधन किए जो फसलों के विविधीकरण तथा फसल पद्यति में परिवर्तनों, बीज रोपण तकनीक, उर्वरकों और नाशीजीव नाशियों के प्रयोग, प्रयोग में लाई गई मशीनरी में परिवर्तन और जल के उपयोग के पैटर्न में परिवर्तनों से संबंधित थे।

साथ ही, राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान और विकास संस्थान (एनआईएलईआरडी) ने 2018 में अधिदेशित कार्यकलापों, इन कार्यकलापों के प्रभाव, सम्बद्ध कार्यकलापों, सराहना तथा अन्य मानदंडों के आधार पर कृषि विज्ञान केन्द्रों के वर्गीकरण पर अध्ययन आयोजित किया। इस अध्ययन ने कृषि विज्ञान केन्द्रों को ए, बी, सी और डी के रूप में वर्गीकृत किया। सर्वोत्तम कार्य-निष्पादन करने वाले कृषि विज्ञान केन्द्रों (43%) को 'ए' श्रेणी में श्रेणीकृत किया गया जिसके बाद 48% कृषि विज्ञान केन्द्रों को 'बी' श्रेणी में श्रेणीकृत किया गया और 9% को 'सी' और 'डी' श्रेणी में श्रेणीकृत किया गया।

इसके अतिरिक्त, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (आईएफपीआरआई) ने 2019 में कृषि विज्ञान केन्द्रों का मूल्यांकन किया था। इस अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

i. कृषि विज्ञान केन्द्रों के प्रयासों से प्रति हेक्टेयर रु॰ 3568 की अतिरिक्त निवल फार्म आय सृजित हुई।
ii. लागत:लाभ अनुपात 1:7.8 है। इस प्रकार, कृषि विज्ञान केंद्र पर व्यय पर प्रतिफल बहुत ऊंचा है।

iii. कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा प्रशिक्षित किया गया एक किसान 30 साथी किसानों को प्रौद्योगिकी/ज्ञान का प्रसार करता है।

हाल ही में, 2020 में, इंडियन सोसायटी ऑफ एग्रीबिजनेस प्रोफेशनल्स, नई दिल्ली ने भी कृषि विज्ञान केन्द्रों के प्रभाव के मूल्यांकन पर एक अध्ययन आयोजित किया। इस अध्ययन प्रमुख निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

i. औसतन, एक कृषि विज्ञान केंद्र का संपर्क (आउटरीच) क्षेत्र लगभग 90-100 गाँव हैं। सूचना सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी की प्रभावशाली युक्तियों के साथ कृषि विज्ञान केंद्रों की गांवों तक पहुँच में प्रति कृषि विज्ञान केंद्र 200 गाँवों तक की वृद्धि होती है।
ii. वर्ष 2012-13 से 2019-20 के बीच कृषि विज्ञान केन्द्रों के संपर्क (आउटरीच) क्षेत्र में फार्म पर परीक्षणों में 51% अग्रपंक्ति प्रदर्शनों में 61%, प्रशिक्षित किए गए किसानों में 16% तथा प्रशिक्षित किए गए विस्तार कार्मिकों में 35% की वृद्धि हुई।
iii. वर्ष 2012-13 में प्रशिक्षणों में महिलाओं की संख्या 30% थी जो 2019-20 में बढ़ कर 37% हो गई।
iv. वर्ष 2012-13 से 2019-20 के बीच भेजे गए संक्षिप्त संदेशों (एसएमएस) के प्रेषण में 142% की वृद्धि हुई। इसी प्रकार, व्हाट्स एप ग्रुप, फ़ेसबुक ग्रुप जैसी डिजिटल प्रौद्योगिकी के आगमन के साथ, शामिल किए गए किसानों में 2012-13 से 2019-20 के बीच 135% की वृद्धि हुई जिसने संपर्क क्षेत्र में 4 गुना की वृद्धि कर दी है।
v. उक्त अवधि के दौरान, कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा बीज उत्पादन में 32%की वृद्धि हुई है तथा रोपण सामग्री के उत्पादन में 117% की वृद्धि हुई है।

(घ) कृषि विज्ञान केन्द्रों का अधिदेश अग्रपंक्ति विस्तार करना है जो अनुसंधान संगठनों और राज्य सरकारों के विभिन्न विकास विभागों द्वारा परिचालित की जा रही प्रमुख विस्तार प्रणाली के बीच पुल का काम करते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र की भूमिका और संसाधनों को देखते हुए, ये जिले के चुनिन्दा किसानों की आवश्यकता की पूर्ति करता है और राज्य के विकास विभागों को क्षमता विकास सहायता प्रदान करता है। पूरे जिले को शामिल करना राज्य सरकारों के विकास विभागों की ज़िम्मेदारी है। तथापि, इंडियन सोसायटी ऑफ एग्रीबिजनेस प्रोफेशनल्स के तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन में यह रिपोर्ट किया गया है कि औसतन, कृषि विज्ञान केंद्र का संपर्क क्षेत्र 90-100 गाँव पाया गया है। अपनी प्रभावशाली सूचना सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी युक्तियों के साथ, गाँवों तक संपर्क प्रति कृषि विज्ञान केंद्र 200 गाँवों तक भी बढ़ जाता है।

(ङ) एवं (च): अभी तक 727 कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है तथा देश में 18 और अधिक कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित करने का प्रावधान है। कृषि विज्ञान केन्द्रों के प्रावधान के लिए जिलों हेतु राज्यवार सूची **अनुबंध-I** में निर्दिष्ट है।

****

अनुबंध-I

{लोक सभा के दिनांक 30.11.2021 के अतारांकित प्रश्न सं0 364 का भाग (ड.) एवं (च)}

कृषि विज्ञान केन्द्र के प्रावधान वाले जिलों की राज्य-वार सूची

राज्य का नाम	जिले का नाम
दादरा और नगर हवेली	सिल्वासा
दमन और दीव	दमन, दीव
हरियाणा	पलवल, मेवात, पंचकूला
जम्मू और कश्मीर	रामबन, ऊधमपुर
पुदुचेरी	माहे
राजस्थान	श्रीगंगानगर, जालौर, पाली, सीकर
उत्तराखंड	पिथौरागढ़, चमोली
पश्चिम बंगाल	बांकुरा, बीरभूम, बर्धमान

******